

भाग क जीईएन

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट/दरवाजा/ब्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम		प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	सड़क/ गली/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान		जन्म की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) (व्यक्ति की दशा में) / /
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड	लिंग (व्यक्ति की दशा में) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> पुरुष <input type="checkbox"/> महिला
	ई-मेल पता	(एसटीडी कोड)-फोन न० ()		नियोजक प्रवर्ग (यदि नियोजन में है) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> लो.क्षे.उ. <input type="checkbox"/> अन्य
फाइल करने की प्रास्थिति	निर्धारण अधिकारी का पद नाम (वार्ड/सर्किल)			धारा के अधीन फाइल की गई विवरणी [कृपया अनुदेश सं० 9(i) देखिए]
	क्या विवरणी मूल या पुनरीक्षित है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> मूल <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित			
	यदि पुनरीक्षित है तो रशीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)			
	आवासीय प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किन्तु साधारण तौर पर निवासी नहीं			
	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -			
	(क)	प्रतिनिधि का नाम		
(ख)	प्रतिनिधि का पता			
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)			
लेखा परीक्षा जानकारी	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें-			
	(क)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		
	(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)		
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख			

कारबार की प्रकृति	कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पों/ उत्पादों को उपदर्शित करें			
	क्र०सं०	कोड [कृपया अनुदेश सं० .9(ii) देखें]	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
	(i)			
	(ii)			
	(iii)			

रसीद सं०

तारीख

प्राप्त कर्ता पदधारी की मूहर और हस्ताक्षर

भाग क - तुलनपत्र

सांपत्तिक कारबार का 31 मार्च, 2010 को तुलनपत्र

(मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों के स्रोत

1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी	क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा	
		ii पूंजी आरक्षिति	खii	
		iii कानुनी आरक्षिति	खiii	
		iv कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
		v योग (खा + खii + खiii + खiv)	खv	
	ग	कूल भागीदारों की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां		
क		प्रतिभूत ऋण		
		i विदेशी मुद्रा ऋण	का	
		ii रूपए में ऋण		
		अ बैंकों से ऋण	iiअ	
		आ अन्य से	iiआ	
		इ योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
iii		योग (का + iiइ)	कiii	
ख		अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
		i बैंकों से ऋण	खा	
	ii अन्य से	खii		
iii	योग (खा + खii)	खiii		
ग	योग ऋण निधि (कiii + खiii)	2ग		
3	आरथगत कर दायित्व		3	
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)		4	
1	स्थिर आस्तियां			
	क	सकल : ब्लाक	1क	
	ख	अवक्षयण	1ख	
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग	
	घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ	
	ङ	योग (1ग + 1घ)	1ङ	
2	विनिधान			
	क	दीर्घकालिक विनिधान		
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट की गई	का	
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट न की गई	कii	
	iii	योग (का + कii)	कiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान		
		i साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा	
		ii अधिमानी शेयर	खii	
		iii डिबेंचर	खiii	
	iv	योग (खा + खii + खiii)	खiv	
ग	कुल विनिधान (कiii + खiv)	2ग		
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			

कोई लेखा मामला नहीं	क	चालू आस्तियां			
	i	बीजक			
		अ भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
		आ कच्ची सामग्री	iआ		
		इ कार्यगत भंडार	iइ		
		ई तैयार माल / व्यापार माल	iई		
		उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)			iउ
	ii	अन्यान्य ऋणी			कii
	iii	नकद और बैंक अतिशेष			
		अ हस्तगत नकदी	iiiअ		
		आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
		इ योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ
	iv	अन्य चालू आस्तियां			कiv
	v	कुल चालू आस्तियां (iउ + कii + iiiइ + कiv)			कv
	ख	ऋण और अग्रिम			
	i	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi		
	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii		
	iv	योग (खi + खii + खiii)			खiv
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (क v + ख iv)			3ग
	घ	चालू दायित्व और उपबंध			
	i	चालू दायित्व			
		अ अन्यान्य लेनदार	i अ		
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	i आ		
		इ उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	i इ		
	ई उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध नहीं हैं	i ई			
	उ योग (i अ + i आ + i इ + i ई)			i उ	
ii	उपबंध				
	अ आयकर के लिए उपबंध	ii अ			
	आ धन कर के लिए उपबंध	ii आ			
	इ छुट्टी भुनाने/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	ii इ			
	ई अन्य उपबंध	ii ई			
	उ योग (ii अ + ii आ + ii इ + ii ई)			ii उ	
iii	योग (i उ उ + ii उ)			घiii	
ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ङ	
4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क			
	ख आस्थगित कर आस्ति	4ख			
	ग लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग			
	घ योग (4क + 4ख + 4ग)			4घ	
5	निधियों के उपयोग का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)			5	
6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2010 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)				
	क अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क	
	ख अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख	
	ग व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम			6ग	
	घ नकदी बकाया की रकम			6घ	

भाग क- लाभ और हानि

सांपत्तिक कारबार के पूर्व वर्ष 2009-10 के लिए लाभ और हानि लेखा

(उस दशा में जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती है, मद 1 से मद 50 भरें, अन्यथा मद 51 भरें)

लाभ और हानि लेखा को ऋण	1	कारबार या वृत्ति का विक्रय /सकल रसीद (शुद्ध विवरणिया और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हों)		1
	2	विक्रय किए गए माल और प्रदाय की गई सेवा क संबध में प्राप्त या प्राप्य योग्य शुल्क, कर और उपकर		
		क संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख सेवा कर	2ख	

	ग	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	2ग		
	घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ		
	ङ	प्राप्त या प्राप्त योग्य कुल शुल्क, कर और उपकर (2क+2ख+2ग+2घ)		2ङ	
3	अन्य आय				
	क	किराया	3क		
	ख	कमीशन	3ख		
	ग	लाभांश	3ग		
	घ	ब्याज	3घ		
	ङ	स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ	3ङ		
	च	प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य प्रतिभूतियों के विनिधान के विक्रय पर लाभ	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	चालू उतार चड़ाव मद्दे लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग (3क से 3ञ)		3ट	
4	अंतिम स्टॉक				4
5	लाभ और हानि लेखा से लेनदारों का योग (1+2ङ+3ट+4)				5
6	आरंभिक स्टॉक				6
7	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				7
8	क्रय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	क	सीमा-शुल्क	8क		
	ख	प्रति शुल्क	8ख		
	ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग		
	घ	संघ उत्पाद-शुल्क	8घ		
	ङ	सेवा कर	8ङ		
	च	मूल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	8च		
	ज	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	8ज		
	झ	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ङ+8च+8ज)		8झ	
9	भाड़ा				9
10	भंडार और अतिरिक्त पूर्णों की खपत				10
11	विद्युत और ईंधन				11
12	किराया				12
13	भवन की मरम्मत				13
14	मशीनरी की मरम्मत				14
15	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	क	वेतन और मजदूरी	15क		
	ख	बोनस	15ख		
	ग	चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग		
	घ	छुट्टी भुनाया जाना	15घ		
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदे	15ङ		
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	किन्हीं कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा जिनके संबंध में व्यय उद्भूत हुआ है	15ञ		
	ट	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ+15च+15छ+15ज+15झ+15ञ)		15ट	
16	बीमा				
	क	चिकित्सा बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	की मेन बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)		16ङ	
17	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणे व्यय				17
18	मनोरंजन				18

19	सत्कार	19	
20	सम्मेलन	20	
21	विक्रय संबंधन जिसके अन्तर्गत प्रचार भी है (विज्ञापन से भिन्न)	21	
22	विज्ञापन	22	
23	कमीशन	23	
24	होटल, बोर्डिंग और लोजिंग	24	
25	यात्रा व्यय जिसके अन्तर्गत विदेश यात्रा भी हैं	25	
26	वाहन व्यय	26	
27	टेलीफोन व्यय	27	
28	अतिथि गृह व्यय	28	
29	क्लब व्यय	29	
30	त्यौहार आयोजन व्यय	30	
31	छात्रवृत्ति	31	
32	दान	32	
33	संदान	33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (जिसके अन्तर्गत आय पर कर भी हैं)		
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क
	ख	सेवा कर	34ख
	ग	मूल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	34ग
	घ	उपकर	34घ
	ङ	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर	34ङ
	च	संदत्त या संदेय कुल दरें और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च
35	लेखा परीक्षा शुल्क	35	
36	अन्य व्यय	36	
37	डूबंत ऋण	37	
38	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	38	
39	अन्य उपबंध	39	
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 - (6 + 7 + 8ज + 9 to 14 + 15 ट + 16ङ + 17 to 33 + 34च + 35 से 39)]	40	
41	ब्याज	41	
42	अवक्षयण	42	
43	करों से पूर्व लाभ (40-41-42)	43	
44	चालू कर के लिए उपबंध	44	
45	अस्थागित कर के लिए उपबंध	45	
46	कर के पश्चात् लाभ (43 - 44 - 45)	46	
47	पूर्व वर्ष से अग्रणीत किया गया बकाया	47	
48	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (46 + 47)	48	
49	आरक्षितियों और अधिशेष को अंतरित	49	
50	स्वामी के लेखा में तुलनपत्र में अग्रणीत बकाया (48 - 49)	50	
51	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नहीं रखी जाती है वहां कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2009-10 के लिए निम्नलिखित जानकारी दें-		
	क	सकल प्राप्तियां	51क
	ख	सकल लाभ	51ख
	ग	व्यय	51ग
	घ	शुद्ध लाभ	51घ

कर उपबंध और विनियोग

कोई लेखा मामला नहीं

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (उस दशा में विकल्प पर जहां धारा 44 कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	धारा 145क के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति में विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टाक के मूल्यांकन के पद्धति	
		क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	

	घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विकलन के कारण, यदि कोई हो लाभ या हानि पर प्रभाव		4घ
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है-			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	जहां प्रत्यय, वापसी या प्रतिदाय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शोध रूप में ग्राह्य है वहां प्रत्यय, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद-शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय, विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रोफार्मा	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी रशीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
6	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय न की गई सीमा तक लाभ और हानि लेखा से विकलित रकम :-			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभान्श के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम	6छ	
	ज	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम	6ज	
	झ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम	6झ	
	ञ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
	ट	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
	ठ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम	6ठ	
	ड	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय	6ड	
	ढ	कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन स्थापित किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या किसी निधि अथवा देय तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
	ण	कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	
	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)		6त
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय	7क	
	ख	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रैक्टर, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय ;	7ख	
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय ;	7ग	
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना ;	7घ	
	ङ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय ;	7ङ	
	च	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
	छ	आय के संबंध में जो कुल आय का भाग नहीं है व्यय की रकम	7छ	
	ज	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7झ
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(i)क और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में संदत्त रकम	अख	
	ग	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अग	
	घ	धनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अङ	
	च	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अच	
	छ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अछ	
	ज	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अछ का योग)		8अज
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			

	क	धारा 40क (2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम;	9क	
	ख	धारा 40क(3) के अधीन एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के संदत्त बीस हजार रुपए से अधिक रकम-100 प्रतिशत अननुज्ञेय ;	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध;	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यक्ति निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि ;	9घ	
	ङ	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ	
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9 च
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ
11	किसी पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम:-			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ	
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	11च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क to 11च का योग)		11छ
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
	ख	सेवा कर	12ख	
	ग	मुल्य बर्धित कर/ विक्रय कर	12ग	
	घ	कोई अन्य करम	12घ	
	ङ	बकाया कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या 33कग के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15

भाग क –		मात्रात्मक ब्यौरे (उस दशा में विकल्प जिसमें धारा 44कख के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी नहीं है)			
मात्रात्मक ब्यौरे					
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक	1		
		पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2		
		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3		
		अंतिम स्टाक	4		
		कमी / अधिक यदि कोई हो	5		
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग			

	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	अंतिम स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार माल	6च
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ
	ज	कमी/अधिक, यदि कोई हो	6ज
7		तैयार माल/ उपोत्पाद	
	क	आरंभिक स्टाक	7क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ
	ङ	अंतिम स्टाक	7ङ
	च	कमी/अधिक, यदि कोई हो	7च

भाग ख - कुल आय **कुल आय की संगणना**

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची घ का 6)	1
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4ग)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि	
		i सट्टे के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का क37)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3i
		ii सट्टे के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-कारबार या वृत्ति का ख 41)(यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3ii
		iii योग (3i + 3ii) (यदि 3 iii हानि है तो शून्य लिखें)	3iii
	4	पूंजी अभिलाभ	
		क अल्पकालिक	
		i अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन) (अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का क7)	4कi
		ii अल्पकालिक (अन्य) (अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का क8)	4कii
		iii कुल अल्पकालिक (4कi + 4कii)	4कiii
		ख दीर्घकालिक (अनुसूची-पूंजी अभिलाभ का ख6) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	4ख
		ग कुल पूंजी अभिलाभ (4कiii + 4ख) (यदि 4ग कोई हानि है तो शून्य लिखें)	4ग
	5	अन्य स्रोतों से आय	
		क दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोतों से (अनुसूची-अन्य स्रोत क3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5क
	ख दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची-अन्य स्रोत का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	5ख	
	ग कुल (5क + 5ख)	5ग	
6	कुल योग (1 + 2 + 3iii + 4ग + 5ग)	6	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7)	8	
9	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि के 2vii, 3vii and 4vii का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची अग्रणीत हानि के केवल 5viii)	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां VI-क (अनुसूची VIक का ध)	11	
12	कुल आय (10 - 11)	12	
13	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 4)	13	
14	'औषत आय' (12 + 13)	14	
15	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (सीएफएल के xi का योग)	15	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व **कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना	1	कुल आय पर संदेय कर	
		क सामान्य दरों पर कर	1क
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई का 11)	1ख
	2	कुल आय पर संदेय कर (1क + 1ख)	2
	3	(2 + 3) पर शिक्षा उपकर जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर भी है	3
	4	कुल कर दायित्व (2 + 3)	4
5	कर राहत		
	क धारा 89	5क	
	ख धारा 90	5ख	

संदत्त कर	ग	धारा 91	5ग	
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)		5 घ
	6	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6घ)		6
	7	संदेय ब्याज		
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	7क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	7ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थान के लिए (धारा 234ग)	7ग	
	घ	संदेय कुल ब्याज (9क+9ख+9ग)		7घ
	8	औषत दायित्व (6 + 7घ)		8
	9	संदत्त कर		
	क	अग्रिम कर (अनुसूची आईटी से)	9क	
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 1 के स्तंभ 7 और अनुसूची स्रोत पर कर की कटौती 2 के स्तंभ 8 का योग)	9ख	
	ग	टीसीएस (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 7)	9ग	
	घ	स्वतः निर्धारण कर (अनुसूची आईटी से)	9घ	
ड	संदत्त कुल कर (8क + 8ख + 8ग + 8घ)		9ड	
10	संदेय रकम (यदि 9ड से अधिक है तो 8 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)		10	
11	प्रतिदाय (यदि 8 9ड से अधिक है तो बैंक लेखा के ब्यौरे भी नीचे दें)		11	
12	अपना बैंक खाता सं0 प्रविष्ट करें (प्रतिदाय की दशा में आवश्यक)			
13	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> बैंक द्वारा, या <input type="checkbox"/> अपने बैंक खाते में जमा कराना चाहते हैं ? (जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> चिह्नित करें)			
14	अपने बैंक खाते में सीधे जमा कराने की दशा में अतिरिक्त ब्यौरे दें			
एमआईसीआर कोड				
		खाते की प्रकार (जो लागू हो उसे <input checked="" type="checkbox"/> चिह्नित करें)	<input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू	

सत्यापन

में,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/ करती हूँ कि विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्य कथित की गई है और निर्धारण वर्ष 2010-11 से सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय कर से प्रभार्य आय के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

स्थान →

तारीख

हस्ताक्षर

15 यदि विवरणी किसी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो और नीचे और ब्यौरे दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं0	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी के प्रति हस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम.....		16

अनुसूची एस

वेतन से आय के ब्यौरे

वेतन	नियोजक का नाम	नियोजक का स्थायी लेखा संख्या (पैन) (वैकल्पिक)
	नियोजक का पता	नगर/शहर राज्य पिन कोड
	1 वेतन (वेतन के स्थान पर सभी भत्तों, परिलब्धियों और लाभ को छँड़ कर)..	1
	2 धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त भत्ते (नीचे 6 में सम्मिलित)	2
	3 भत्ते जो छूट प्राप्त नहीं हैं (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)	3
	4 परिलब्धियों का मूल्य (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)	4
	5 वेतन के स्थान पर लाभ (नियोक्ता से प्ररूप 16 विनिर्दिष्ट किया जाए)	5
6 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (1+3+4+5)	6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें)

गृह संपत्ति	1 संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर राज्य पिन कोड	
	यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (चिह्नित) करें <input type="checkbox"/>	किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)
	क वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)	1क	
	ख किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	1ख	
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
	घ कुल (1ख + 1ग)	1घ	
	ड बकाया (1क - 1घ)	1ड	
च 1ड का 30%	1च		

	ख	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ख		
	ज	कुल (1ख + 1ख)		1ज	
	झ	गृह संपत्ति 1 से आय (1ख - 1ज)		1झ	
2	संपत्ति 2 का पता		नगर/शहर	राज्य	पिन कोड
	यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (विहित) करें <input type="checkbox"/>		किराए दार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)	
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)				2क
	ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	2ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
	घ	कुल (2ख + 2ग)	2घ		
	ङ	बकाया (2क - 2घ)		2ङ	
	च	2ङ का 30%	2च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ		
	ज	कुल (2च + 2छ)		2ज	
	झ	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ - 2ज)		2झ	
	3	संपत्ति 3 का पता		नगर/शहर	राज्य
यदि किराए पर है तो <input checked="" type="checkbox"/> (विहित) करें <input type="checkbox"/>		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा सं0 (वैकल्पिक)		
क	वसूल किया गया या वसूलनीय वार्षिक किराए योग्य मूल्य/ किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर है तो उच्चतर, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए है तो निम्नतर)				3क
	ख	किराए की रकम जो निर्मोचित नहीं की जा सकती है	3ख		
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	3ग		
	घ	कुल (3ख + 3ग)	3घ		
	ङ	बकाया (3क - 3घ)		3ङ	
	च	3ङ का 30%	3च		
	छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ		
	ज	कुल (3च + 3छ)		3ज	
	झ	गृह संपत्ति 3 से आय 3 (3ङ - 3ज)		3झ	
	4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय			
क	धारा 25क/कक के अधीन निर्मोचित पूर्व वर्षों का किराया		4क		
	30% कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त किराए का बकाया		4ख		
	कुल (4क + 4ख + 1झ + 2झ + 3झ)		4ग		

टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय	अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 51घ)	1	
	2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2	
	3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रसीदें	3	
	4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44ख/44खख/44खखक/44खखख/44छ/44छक अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4	
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क	फर्मों से आय का अंश	5क	
		एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख	
		आय से कोई अन्य छूट	5ग	
		कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
	6	बकाया (1- 2 - 3 - 4 - 5घ)	6	
	7	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित	8		
9	कुल (7 + 8)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10		
11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञायण	11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	11i		
	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क	11ii		
	कुल (12i + 12ii)	12ii		

13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 – 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7ज)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कछ)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ड)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 33कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घ के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मर्दे	22	
23	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति/ हिंदू अविभक्त कुटुंब/ स्वामित्वधारी समुदायन भागीदार हैं, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)	24	
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची 4एसआर का मद Vii (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम(भाग-णझ का 8ख)	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम(भाग-णझ का 10छ)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	29क	
	ख कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29ख	
	ग लाभ कटौती के रूप में अनुज्ञेय अधिक रकम	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30	
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग+ 30)	31	
32	आय (13+ 24 – 31)	32	
33	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44घ	33 viii	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-छ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)	33xii	
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33xii)	34	
35	निम्नलिखित धारा के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35ii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का च)	35i	
	v योग	35v	
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)	36	
37	कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की सिवाय वही जो ऊपर 36 में है)	अ37	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
38	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	38	

39	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	39
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	40
41	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)	आ41
इ	'लाभ और हानि' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 37 + आ 41)	ई

टिप्पण ► कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी						
		15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
2	दर (%)							
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
15	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)							
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9 -14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

1	आस्तियों का ब्लाक	भवन			फर्निचर और फिटिंगें	अंमुत आस्तियां	पोत
		5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
2	दर (%)						
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माण						
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3 + 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माण						
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो						

13	पर अतिरिक्त अवक्षयण यदि कोई हो					
14	कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)					
15	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय					
16	धारा 50* के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -15) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य* (6+9 -14) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					

अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14i)	1क				
	ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14ii)	1ख				
	ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iii)	1ग				
	घ 50% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14iv)	1घ				
	ङ 60% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14v)	1ङ				
	च 80% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vi)	1च				
	छ 100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 14vii)	1छ				
	ज संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ)				1ज	
2	भवन					
	क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14i)	2क				
	ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii)	2ख				
	ग 100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii)	2ग				
	घ भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))				2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंगें अनुसूची डीओए 14iv)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14v)				4	
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vi)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी					
	क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16i)	1क				
	ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16ii)	1ख				
	ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iii)	1ग				
	घ 50% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16iv)	1घ				
	ङ 60% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16v)	1ङ				
	च 80% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vi)	1च				
	छ 100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 16vii)	1छ				
	ज संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)				ज	
2	भवन					
	क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16i)	2क				

ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16ii)	2ख	
ग	100% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 16iii)	2ग	
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 16iv)		3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डाओए 16v)		4
5	पोत (अनुसूची डीओए 16vi)		5
6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)		6

अनुसूची इएसआर

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

क्र. सं.	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ
अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			
1	मंदा में विक्रय से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
	ग मंदा में विक्रय से अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
	घ धारा 54ख/54घ के अधीन कटौतियां	1घ		
	ङ मंदा में विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)		1ङ	
2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियों से, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2
3	अन्य आस्तियों से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i अर्जन की लागत	खi		
	ii सुधार की लागत	खii		
	iii अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	खiv		
	ग अतिशेष (3क- खiv)	3ग		
	घ हानि, यदि कोई हो, की धारा 94(7) या 94(8) के अधीन (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	3घ		
	ङ धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छक के अधीन कटौतियां	3ङ		
	च अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (3ग-3घ-3ङ)		3च	
4	अवक्षयणीय योग्य आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)			4
5	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54छक के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे			5
6	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3ङ+4+5)			6
7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ			7
8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (6-7)			अ8
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
1	मंदा में विक्रय से			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क		
	ख उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख		
	ग मंदा में विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1ग		
	घ धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54छक के अधीन कटौतियां	1घ		
	ङ मंदा में विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग-1घ)			
2	ऐसे अनिवासी के मामले में आस्तियां, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू है			2
3	ऐसी अन्य आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है			
	क प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
	ख धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
	ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		

पूंजी अभिलाभ

	iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv	योग (खi+खii+खiii)	खiv		
ग		अतिशेष (3क- खiv)	3ग		
घ		धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च / 54छ/ 54छक के अधीन	3घ		
ङ		शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ	
4		ऐसी अन्य के मामलों में आस्तियां जिनके लिए धारा 112(1) के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण पर व्यय	खiii		
	iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
ग		अतिशेष (4क- खiv)	4ग		
घ		धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54छक के अधीन	4घ		
ङ		शुद्ध अतिशेष			
5		धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54छक के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में मानी गई रकमे		5	
6		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें)+2+3ङ (यदि हानि है तो शून्य लिखें) (यदि हानि है तो शून्य लिखें) +5)		आ6	
इ		“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ6+ आ6) (यदि हानि है तो ख6 को शून्य लिखें)		इ	

वर्ष	पूंजी अभिलाभ का प्रोदभात/प्राप्ति के संबंध में सूचना	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 (ii)	16/12 से 15/3 (iii)	16/3 to 31/3 (iv)
1	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 22 है, कर दर 10 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद बी4ग से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
2	दीर्घकालिक, जहां धारा 112(1) का परंतुक प्रयुक्त नहीं होता है (सूचीकरण बिना)- एसआई अनुसूची में कोड 21 है, कर दर 20 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद (बी6-बी4सी) से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
3	111ए के अधीन अल्पकालिक- अनुसूची एसआई में कोड 1ए है, कर दर 15 प्रतिशत है ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए7से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
4	अल्पकालिक अन्य- सामान्य दर पर कराधेय ; अनुसूची सीवाईएलए और बीएफएलए में इस प्रवर्ग के अधीन हानि समायोजन के पश्चात् अनुसूची सीजी की मद ए8से केवल सकारात्मक मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों				
टिप्पण कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें					

अनुसूची अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

वर्ष	अनुसूची	अन्य स्रोत	अन्य स्रोतों से आय
1	(दौड़ के घोड़ों) के स्वामित्व से होने वाली आय से भिन्न आय		
	क	लाभांश, सकल	1क
	ख	ब्याज, सकल	1ख
	ग	मशीनरी, संयंत्र, भवन के किराए से आय	1ग
	घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से होने वाली आय को छोड़कर)	1घ
	या	योग (1क+1ख+1ग+1घ)	1ङ
	च	धारा 57 के अधीन कटौतियां :-	
		i व्यय/कटौती	च i
		ii अवक्षयण	च ii
		iii योग	च iii
	छ	शेष (1ङ- च iii)	1 छ
2	लाटरी, वर्ग पहली, दौड़ों आदि से जीत		2
3	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ + 2)		3
4	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनको रखने से आय		
	क	प्राप्तियां	4 क

vii	2008-09								
viii	2009-10								
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2010-11 (चालू वर्ष की हानियां)								
xii	अगले वर्षों में अग्रनीत की गई कुल हानि								

अनुसूची 10 क धारा 10 क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौतियां	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	1क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	1ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	1ग			
	घ	उपक्रम संख्या.4	1घ			
	ङ	उपक्रम संख्या .5	1ङ			
		योग (1 क+ 1 ख+ 1 ग + 1 घ + 1 ङ)				1
	2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	2क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	2ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	2ग			
	घ	योग (2 क + 2 ख+ 2 ग)			2 घ	
	3	मुक्त व्यापार जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	3क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	3ख			
	ग	उपक्रम संख्या.3	3ग			
	घ	योग (3 क + 3 ख+ 3 ग)			3घ	
	4	निर्यात प्रसंस्करण जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	4क			
	ख	उपक्रम संख्या.2	4ख			
ग	उपक्रम संख्या.3	4ग				
घ	योग (4 क + 4 ख+ 4 ग)					
5	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
क	उपक्रम संख्या 1	5क				
ख	उपक्रम संख्या.2	5ख				
ग	उपक्रम संख्या.3	5ग				
घ	योग (5 क + 5ख+ 5 ग)					
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौतियां(1घ) + 2 घ+ 3घ+ 4घ+ 5घ)				6	

अनुसूची 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	5क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	5ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	5ग		
	घ	योग (क + ख+ ग)			घ

अनुसूची 10ख धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन कटौतियां	शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाइयों की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		
	घ	उपक्रम संख्या.4	घ		
	ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ		
च	योग (क + ख+ ग + घ + ङ)			च	

अनुसूची 10खक धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन	हस्तनिर्मित काष्ठ वस्तुओं के निर्यात की बाबत कटौती				
	क	उपक्रम संख्या 1	क		
	ख	उपक्रम संख्या.2	ख		
	ग	उपक्रम संख्या.3	ग		

घ	उपक्रम संख्या.4	घ	
ङ	उपक्रम संख्या.5	ङ	
च	योग (क + ख + ग + घ + ङ)	च	

अनुसूची 80 छ

धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए हकदार संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे	क	शतप्रतिशत कटौती के लिए हकदार संदान		
		आदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		का
		ii		काii
		iii		काiii
		iv		काiv
		v		कv
		vi	योग	कvi
	ख	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, 50% कटौती के लिए अनुज्ञात संदान		
		आदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		खा
		ii		खाii
		iii		खाiii
		iv		खाiv
		v		खv
		vi	योग	खvi
	ग	जहां आदाता का धारा 80छ(5)(vi) के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, 50 % कटौती के लिए अनुज्ञात संदान		
		आदाता का नाम और पता	आदाता का स्थायी लेखा संख्या	संदान की रकम
		i		गा
		ii		गाii
		iii		गाiii
	iv		गाiv	
	v		गv	
	vi	योग	गvi	
घ	कुल संदान (कvi + खा + गvi)		घ	

अनुसूची 80 झक

धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक(4)(i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क	
	ख	धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख	
	ग	धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ग	
	घ	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	घ	
	ङ	धारा 80झक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ	
	च	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क + ख + ग + घ)		च

अनुसूची-80- झख

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झख(3) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (लघु उद्योग)	क	
	ख	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	ख	
	ग	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80झख(4))	ग	

घ	औद्योगिक रूप से पिघड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख(5))	घ	
ङ	मल्टीप्लैक्स थियटरों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख(7 क))	ङ	
च	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां (धारा 80इख(7ख))	च	
छ	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौतियां (धारा 80इख(8 क))	छ	
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियां (धारा 80इख(9))	ज	
झ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80इख(10))	झ	
ञ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियां जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80इख(11))	ञ	
ट	पड्डों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख(11))	ट	
ठ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80इख(11 क))	ठ	
ड	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियां (धारा 80इख(11 ख))	ड	
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौतियां (क से ड का योग)	ढ	

अनुसूची-80- झग या 80इङ		धारा 80इग या 80 इङ के अधीन कटौतियां	
धारा 80 इग के अधीन कटौतियां	1	सिक्किम में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	1
	2	हिमाचल प्रदेश में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	2
	3	उत्तरांचल में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	3
	4	पूर्वोत्तर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां	
	क	असम	4क
	ख	अरुणाचल प्रदेश	4ख
	ग	मणिपुर	4ग
	घ	मिजोरम	4घ
	ङ	मेघालय	4ङ
	च	नागालैंड	4च
छ	त्रिपुरा	4छ	
ज	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का कुल योग (4क से 4छ का योग)	4ज	
5	धारा 80इग या 80इङ के अधीन कुल कटौतियां (1 + 2 + 3 + 4 ज)	5	

अनुसूची-6 क		अध्याय 6 क के अधीन कटौतियां (धारा)		
कुल कटौतियां	क	80 ग	ट	80 इक (अनुसूची 80इक का क)
	ख	80 ग ग ग	ठ	80 इख (अनुसूची 80इक का ढ)
	ग	80 ग गघ	ड	80 इग / 80इङ (अनुसूची इग/ 80इङ का 5)
	घ	80 घ	ढ	80 इग/ 80इङ (अनुसूची 80इक/ 80इङ का 5)
	ङ	80घघ	ण	80इघ/जककक
	च	80घघख	त	80 ठक
	छ	80 ङ	थ	80 थथख
	ज	80 छ	द	80 ददख
	झ	80छछ/छछक	ध	80 प
	ञ	80 छछग		
घ	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियां (क से झ का कुल योग)	घ		

अनुसूची - विशिष्ट व्यक्तियों की आय विशिष्ट व्यक्तियों की आय (पती/ पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की आय में शामिल है।

व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं.	नातेदारी	आय की प्रकृति	रकम (रूपए)
----------------	----------------------------	----------	---------------	------------

अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	नियोजक का नाम और पता	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	अध्याय VI-क के अधीन कटौती	संदेय कर (जिसके अंतर्गत शिक्षा उपकर भी हैं)	कटौती किया गया कुल कर	संदेय/प्रतिदेय कर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 2 आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टैन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत्त रकम	संदाय/जमा की तारीख	कटौती किया गया कुल कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						
iii						

टिप्पण :- कृपया भाग ख टीटीआई1 के 11ख में अनुसूची टीडीएस1 के स्तंभ 7 और अनुसूची टीडीएस2 के स्तंभ 7 का योग भरें।

अनुसूची टीसीएस		स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27ध के अनुसार)				
क्रम सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्या (टीएन)	संग्रहाक का नाम और पता	प्राप्त/विकलन की रकम	प्राप्त/विकलन की तारीख	काटा गया कुल कर	वर्ष के दौरान विकलन के रूप में अनुज्ञात किए जाने वाले (6) से रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i						
ii						

टिप्पण : भाग ख--टीटीआई के क्रम सं.17ग में स्तंभ (7) की कुल रकम प्रविष्ट करें